थाना सहसवान पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से थाने पर आने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक 03.03.2023 को थाना सहसवान क्षेत्रान्तर्गत मोहसिन पुत्र यूसुफ आदि व खालिद उर्फ बाबा पुत्र गुड्डू आदि दो पक्षो में झगडा हुआ था। जिसमें मोहसिन के झगडे मे चोट आयी और चोटो का डाक्टरी परिक्षण कराया गया जिसमे श्रीमती आबदा पत्नी भूरे नि0 मो0डांक बंगला कस्बा व थाना सहसवान बदायूं द्वारा तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0137/2023 धारा 323/504/506/427 भादवि बनाम खालिद पुत्र गुड्डू,भूरा पुत्र इन्तजार,गौसा उर्फ आदिल पुत्र नफासत, मुस्तकीम पुत्र गुड्डू नि0 गण मो0 डांक बंगला कस्बा व थाना सहसवान बदायूँ के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके उपरान्त दिनाँक 04.03.2023 को मोहसिन पक्ष के गुलजार आदि द्वारा भूरा के भाई विकार व उसकी पत्नी आसमा व उसके बच्चो के साथ मारपीट की गई इस पर भूरा का भाई विकार अपने ऊपर पूर्व से ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर मजरूबी हालत में तहरीर सहित थाना स्थानीय पर उपस्थित हुआ, स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मेडिकल परिक्षण कराया गया। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 138/2023 धारा 323/504/506/427 भादवि बनाम आबदा पत्नी भूरे, गुलजार पुत्र यूसुफ नि0 गण मो0 डांक बंगला कस्बा व थाना सहसवान बदायूं पंजीकृत किया गया। विकार द्वारा पहले से ही ज्वलनशील पदार्थ अपने शरीर पर डाला हुआ था। विकार द्वारा किसी भी आत्मदाह की कोशिश नहीं की गई थी बल्कि उसके द्वारा ज्वलनशील पदार्थ पुलिस पर दबाब बनाकर मुल्जिमो के खिलाफ मुकदमा लिखाने का उद्देश्य से किया गया था। उपरोक्त दोनो क्रम में विवेचना के दौरान धारा 307 भादवि की बढोतरी हुई तथा मु0अ0सं0 137/023 में अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र गुड्डू के स्थान पर अभियुक्त विकार पुत्र इंतजार निवासी मौहल्ला डाक बंगला काशीराम कालोनी कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ का होना पाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत थाना सहसवान पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त विकार पुत्र इंतजार निवासी मौहल्ला डाक बंगला काशीराम कालोनी कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ प्रतिपक्षी आबदा आदि के विरूद्ध मुकदमें लिखाने व पुलिस पर दबाब बनाने के लिये ज्वलनशील पदार्थ डालकर थाना सहसवान पर आया था। जिसके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/23 धारा 323/504/506/427/307 IPC व 3/25(1-B)(a) A ACT पंजीकृत किया गया उपरोक्त अभियुक्त के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नोटः- इससे पूर्व मे अभि0 मोहसिन व खालिद को घटना में प्रयुक्त तमन्चा के साथ गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है।)

सोशल मीडिया सेल,

जनपद बदायूं